

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री ब्रजेश सिंह के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक श्री असित श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण मे जनपद संतकबीरनगर मे दिनांक 14.08.2019 को कानून व्यवस्था, अपराध एवं अपराधियों पर नियन्त्रण हेतु चलाये गये चेकिंग अभियान मे निम्नलिखित कार्यवाहिया की गयी ।

जुआ अधिनियम के अन्तर्गत 03 अभियुक्त गिरफ्तार, 3210 रुपये नकद व ताश के 52 पत्ते बरामद

थाना महुली पुलिस द्वारा जुआ खेल रहे 03 व्यक्तियों नाम पता – 1 – रामप्रीत पुत्र रामदीन 2 – चैतू उर्फ रामप्रताप पुत्र गज्जू 3 – खदेरू पुत्र बलिराम निवासीगण दौलतपुर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को 410 रुपये मालफड़, 2800 रुपये जामा तलाशी व ताश के 52 पत्तों के साथ गिरफ्तार कर थाना महुली पर मु0अ0सं0 301/19 धारा 13 सार्वजनिक जुआ अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार करने वाली टीम – उ0नि0 श्री सदरुल आलमीन, उ0नि0 श्री जितेन्द्र सिंह, का0 लालचन्द प्रसाद, का0 अंकेश यादव, का0 मनीष ।

वारण्टी

कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 04 वारण्टी नाम पता – 1 – दिलीप कुमार पुत्र महाराज निवासी बालूशासन 2 – दीनबन्धु 3 – अवधेश उर्फ झूरी पुत्रगण पारस निषाद 4 – बेचन उर्फ बेचू पुत्र जवाहिर निवासीगण मोहम्मदपुर कठार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया ।

थाना मेहदावल पुलिस द्वारा एक वारण्टी नाम पता सुरेश पुत्र सुन्दरलाल यादव निवासी बढया थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया ।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 02 वारण्टी नाम पता – 1 – सीता पत्नी रामशब्द 2 – ऊषा पत्नी मिश्रीलाल निवासीगण लेडुआ महुआ थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया ।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1487 ने विवाद को कराया शान्त – पीआरवी 1487 को थाना महुली क्षेत्र के अन्तर्गत इवेन्ट संख्या 1012 से कालर ने जमीन को लेकर विवाद होने के सम्बन्ध में सूचना दी । इस सूचना पर पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल 06 मिनट में मौके पर पहुंचकर हो रहे विवाद को शान्त कराकर दोनों पक्षों के व्यक्तियों को विधिक कार्यवाही हेतु थाना महुली को सुपुर्द किया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता, सूझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुंचकर एक बड़ी घटना घटित होने से रोका गया । जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी ।

पीआरवी स्टाफ- मुख्य आरक्षी रामस्वरूप राय, आरक्षी राणा प्रताप सिंह, हो0चा0 भीम कुमार ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 103 वाहनो से 107600 रु0 सम्मन शुल्क वसूल

आज दिनांक 14-08-2019 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 103 वाहनो से 107600 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 10 अभियुक्त गिरफ्तार –

- कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।
- दुधारा पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।
- धनघटा पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी मे 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।
- मेहदावल पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

एन्टी रोमियो अभियान के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही

आज दिनांक 14-08-2019 को जनपदीय पुलिस व एन्टी रोमियो टीम द्वारा मनचले / रोमियो चेकिंग के दौरान 17 स्थानों पर चेक करते हुए कुल 57 व्यक्तियों को चेक किया गया जिसमे से मनचले व शोहदे किस्म के लड़को से पूछताछ करने के पश्चात कड़ी चेतावनी देकर छोड़ा गया तथा हिदायत दी गयी कि बिना किसी कारण के बाजारों व चौराहों के आसपास दोबारा घूमते हुए पाये जाने पर कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जायेगी ।